

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application
No. 459/2025

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 1834/2025

Kapil Gautam S/o Shri Ghanshyam Gautam, R/o 221, Astha
Nagar, Thekra Road, Borkheda, Kota
(At Present Confined in Central Jail Kota)

-----Petitioner

Versus

1. Radhakrishan Sharma @ Radhakishan Sharma S/o Shri Nathulal Sharma, Aged About 64 Years, R/o House No. 517, Behind Vyas Ji Ki Haveli, Retwali, Kaithunipolie, District Kota (Deceased) Through Legal Representatives
- 1/1. Smt. Gayatri Devi W/o Late Radhakrishan Sharma, R/o Bansawal Bhawan, Near Satyeshwar Mahadev Mandir, Retwali, Kota (Raj.)
- 1/2. Smt. Radhika Sharma D/o Late Radhakrishan Sharma, R/o Bansawal Bhawan, Near Satyeshwar Mahadev Mandir, Retwali, Kota (Raj.)
- 1/3. Ashish Sharma S/o Late Radhakrishan Sharma, R/o Bansawal Bhawan, Near Satyeshwar Mahadev Mandir, Retwali, Kota (Raj.)
- 1/4. Manish Sharma S/o Late Radhakrishan Sharma, R/o Bansawal Bhawan, Near Satyeshwar Mahadev Mandir, Retwali, Kota (Raj.)

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Shamsuddin Ansari, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Bismaad Kaur, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

14/11/2025

1. याची-अभियुक्त कपिल गौतम पुत्र घनश्याम गौतम की ओर से अंतर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस., विचारण न्यायालय- विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) सं.-2, कोटा (राज.) द्वारा सी.आई.एस.

फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या— **839868/2018**, उनवान राधाकृष्ण शर्मा बनाम कपिल गौतम में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **23.07.2024** एवं अपीलीय न्यायालय— **अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम— 3, कोटा (राज.)** द्वारा दांडिक अपील संख्या— **390/2024**, उनवान कपिल गौतम बनाम राधाकृष्ण शर्मा में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक **12.09.2025** के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अपीलीय न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2024 की पुष्टि करते हुए याची—अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा **138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881** में दोषसिद्ध किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि सहित 10 माह के साधारण कारावास तथा अदम अदायगी प्रतिकर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

2. बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता याची—अभियुक्त का दौराने बहस कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है, उनका यह भी कथन है कि याची—अभियुक्त को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं एवं याची—अभियुक्त स्वेच्छा से क्षतिपूर्ति राशि के पेटे न्यायालय के आदेशानुसार आंशिक क्षतिपूर्ति राशि विचारण न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है, प्रस्तुत निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता अचायी—परिवादी ने याची—अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।
5. हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय के निर्णयों का एवं समग्र पत्रावली का मय रिकॉर्ड ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याची को 10 माह के साधारण कारावास तथा 10,00,000/—रुपए की प्रतिकर राशि के दण्ड से दंडित किया गया है, जिसकी अपील किए जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि की गई, जहां तक सजा स्थगन के लिये अर्थदण्ड/क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय 2018(2) क्राइम्स पृष्ठ 302 (एस.सी.) सत्येन्द्र कुमार मेहरा उर्फ सतेन्द्र कुमार मेहरा बनाम झारखण्ड, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 659 स्टेनी फैलिक्स पिन्टो बनाम जांगिड़ बिल्डर्स प्रा.लि. व अन्य एवं (2007)6 एस.सी.सी. पृष्ठ 528 दिलीप एस. धानुकर बनाम कोटक महेन्द्र कं.लि. में तथा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने एस.बी. किमीनल मिस. पिटीशन नंबर 1137/2012 सुरेश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में यह निर्णीत किया है कि कारावास का दण्ड स्थगित करते समय न्यायालय ऐसी कुछ युक्तियुक्त शर्तें लगा सकता है तथा यह आदेश पारित कर सकता है कि अर्थदण्ड/क्षतिपूर्ति की राशि का युक्तियुक्त भाग जमा करवाया जाए।
7. अतः उक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिकर के क्रम में याची—अभियुक्त द्वारा कुल **क्षतिपूर्ति राशि 10,00,000/— रुपये की 25 प्रतिशत राशि का डी.डी.** विचारण न्यायालय में जमा कराने की शर्त पर यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
8. परिणामतः याची—अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची—अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/—रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000—25000/—रुपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह

इस न्यायालय में दिनांक **16.12.2025** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा तथा याची द्वारा कुल प्रतिकर राशि 10,00,000/- की 25 प्रतिशत राशि का डी.डी. अधीनस्थ/विचारण न्यायालय में जमा करा दिया जावे तो याची/अभियुक्त **कपिल गौतम पुत्र घनश्याम गौतम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

9. विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस निगरानी याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।
10. इस आदेश के तहत याची द्वारा आदेशित राशि का डी.डी. जमा कराने के पश्चात परिवादी की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय में इस आदेश की रोशनी में राशि प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जमाशुदा डी.डी. की राशि परिवादी को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि याची इस पुनरीक्षण याचिका में सफल होता है तो उस स्थिति में परिवादी द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः याची को 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के एक माह की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेगा, अन्यथा परिवादी इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिये दायी होगा।

(BHUWAN GOYAL),J